

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 383 /2-6 दिनांक, देवरिया, अगस्त 12/ 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 नं0 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-908/ग्राम-कोन्हवलिया पो0-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-337/11-सी- एफ0पी0/ यू0पी0 /एप्रोच/145661/2021 एवं आपके कार्यालय के पत्र संख्या-383/2-6 दिनांक 06.08.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा बिन्दु संख्या-1 पर उठायी गयी आपत्ति की आख्या निम्न प्रकार है:-

क0 सं0	आपत्ति	आख्या
1	प्रभागीय निदेशक उल्लंघन पर (वन संरक्षण एवं सम्बर्धन) अधिनियम-1980 के सेक्शन-3ए, 3बी, के तहत कार्यवाही करेंगे ?	विषयगत प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा (वन संरक्षण एवं सम्बर्धन) अधिनियम-1980 के सेक्शन-3बी, के तहत एच-2 केस संख्या-40/2023-24 दिनांक 26.12.2023 द्वारा कार्यवाही की गयी है। जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया



